

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शाहपुर, औरंगाबाद

आवश्यक सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 13185 दिनांक 03.09.2015 पत्रांक 2526 दिनांक 18.2.2016 तथा पत्रांक 1164 दिनांक 04.09.2017 व निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 12/प्रशि-01/2016-31 दिनांक-28.01.2021 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को डी0एल0 एड0 कोर्स के नामांकन में 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रवधान है।

वैसे सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि वे उपर्युक्त विषयांकित कोटि के उम्मीदवार हैं, तो उक्त से संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना दावा तीन दिनों के अन्दर महाविद्यालय के कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि उन्हें उक्त आरक्षण का लाभ नियमानुसार मिल सके। महाविद्यालय कार्यालय में दावा नहीं प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उक्त लाभ से वंचित रहने की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी।

Om
21/11/2021
प्राचार्य

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
शाहपुर, औरंगाबाद।